

कार्यालय जिलाधिकारी, गोरखपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: १५१८ / खनिज / नीलामी / सा० बालू-गो०

दिनांक २९/१०/२०२४

ई-निविदा आमंत्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप जिलाधिकारी, गोला व प्रभारी अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, गोरखपुर व की संयुक्त जांच आख्या दिनांक-०१.०८.२०२४ द्वारा तहसील गोला स्थित ग्राम-कोहड़ी बुजुर्ग का स्थलीय निरीक्षण के दौरान आराजी सं०-८१७, ८२० एवं ८२६ में लगभग ९५६०.०० घनमीटर सा० बालू का अवैध भण्डारण किया गया है, जिसे जिलाधिकारी व सक्षम न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक कुल ९५६०.०० घनमीटर सा० बालू को सीज कर श्री राजीव कुमार राय पुत्र श्री विभूति नारायण राय ग्राम व पोस्ट-गोपालपुर, जनपद गोरखपुर की अभिरक्षा में दिया गया है एवं उप जिलाधिकारी, गोला व प्रभारी अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, गोरखपुर की संयुक्त जांच आख्या दिनांक-३१.०७.२०२४ द्वारा तहसील गोला स्थित ग्राम-मुहालजलकर का स्थलीय निरीक्षण के दौरान आराजी सं०-२७६८ एवं २७६९ में २२८४६.०० घनमीटर सा० बालू का वैध/अवैध भण्डारण किया गया है। जिस पर राज्य सरकार का अधिकार है। इस प्रकार कुल ३२,४०६.०० घनमीटर सा० बालू को ई-निविदा द्वारा निस्तारण हेतु एतद्वारा घोषित करते हुये दिनांक ११-११-२०२४ से दिनांक २०-११-२०२४ तक सात कार्य दिवसों के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन ई-टेंडर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर ई-निविदा आमंत्रित किया जाता है।

ई-निविदा (E-tendering) हेतु सा० बालू भण्डरों का विवरण :-

क्र०सं०	भण्डारण स्थल का विवरण	भण्डारित सा० बालू की मात्रा (घनमीटर में)	न्यूनतम रायल्टी की दर (रु० प्रति घनमीटर)	न्यूनतम सरकारी बोली की धनराशि (रु० में)	प्री-बिड अर्नेस्ट मनी (कॉलम-५ में अंकित धनराशि का ५० प्रतिशत) की धनराशि (रु० में)	भण्डारित खनिज हटाये जाने (विक्रय एवं परिवहन) हेतु निर्धारित समयावधि
१	२	३	४	५	६	७
१	ग्राम-कोहड़ी बुजुर्ग तहसील गोला, जनपद गोरखपुर	९,५६०	६५.००	६,२१,४००	३,१०,७००	०२ माह (परिवहन प्रपत्र निर्गत होने के दिनांक से)
२	ग्राम-मुहालजलकर, तहसील गोला, जनपद गोरखपुर	२२,८४६	६५.००	१४,८४,९९०	७,४२,४९५	०३ माह (परिवहन प्रपत्र निर्गत होने के दिनांक से)

शर्तें

- ई-निविदा सा० बालू के प्रति घनमीटर के लिये दी जायेगी, जो उ०प्र०० उपखनिज (परिहार) नियमावली २०२१ के प्रथम अनुसूची में जनपद गोरखपुर के सा० बाल के लिये विनिर्दिष्ट दर रु० ६५ प्रति घनमीटर से कम नहीं होगी। इससे निम्न ई-निविदा दिये जाने पर ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री-बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम ई-निविदा की दर (रुपये प्रति घनमीटर) को उस सा० बालू भण्डार में आंकलित सा० बालू की कुल मात्रा (घनमीटर) से गुणा कर सम्बन्धित सा० बालू भण्डार के लिये देय ई-निविदा हेतु प्री-बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
- इच्छुक निविदाकार ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा व गुणवत्ता एवं पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. इच्छुक निविदाकार ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व निविदा शुल्क रु0 2500.00/- (दो हजार पाच सौ रु0) खनन विभाग के लेखा शीर्षक "0853-00-102-01-00" में चालान के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
4. निविदादाता द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों की पी0डी0एफ0 फाइल ई-निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

क— सा0 बालू भण्डारण की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 2021 की अनुसूची 01 में सा0 बालू के लिये विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रु0 65 प्रति घनमीटर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसके 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के बैंक ड्राफ्ट (जो जिलाधिकारी गोरखपुर के पक्ष में देय हो) की मूलप्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व दिनांक २४-११-२०२५ को सायं ०५-०० बजे तक जिला खनन कार्यालय गोरखपुर में प्रस्तुत करना होगा। सा0 बालू भण्डार की ई-निविदा हेतु प्री-बिड अर्नेस्ट मनी (EMD) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि व समय तक जमा नहीं होगा, उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

ख—पैन कार्ड एवं आधार कार्ड।

ग—निविदाकार का पता प्रमाण पत्र।

(पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा—वोटर आई0डी0/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उसके पंजीकरण का विवरण)

घ—खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथपत्र।

ङ—चरित्र प्रमाण पत्र (जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से सम्बन्धित पुलिस सत्यापन के आधार पर जारी)।

5. ई-निविदा आमंत्रण की सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात दिनांक २७-११-२५ तक ई-टेंडर पोर्टल <http://etenders.up.nic.in> पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जायेगी। बिन्दु संख्या-04 में उल्लिखित/वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की रूपैयां प्रति ई-टेंडर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या 04 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
6. दिनांक २१-११-२५ तक प्राप्त ई-निविदाओं को कलेकट्रेट गोरखपुर परिसर स्थित एन0आई0सी0 के कार्यालय में दिनांक २२-११-२५ को अपराह्न १०-०० बजे खोला जायेगा।
7. ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स को किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) प्राप्त करना होगा।
8. इच्छुक ई-निविदाकार को ई-टेंडर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ई-टेंडर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने अथवा ई-निविदा अपलोड करने हेतु किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिये जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 गोरखपुर से उनके मोबाइल नम्बर ०९५४-२९-८९०९८ पर एवं ई-जिला प्रबन्धक से उनके मोबाइल नम्बर-9451065121 पर सम्पर्क किया जा सकता है। ई-निविदाकार द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने के उपरान्त अपनी ई-निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी :—

 - (1) सर्वप्रथम ई-निविदाकार द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर लॉगिन आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई-टेंडर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।
 - (2) तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई-टेंडर पोर्टल पर किया जाना होगा।
 - (3) ई-निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेंडर (Search Active Tender) पर विलक कर अपनी रुचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु विलक करना होगा।
 - (4) निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारियों को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

- (5) निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा को ई-टेंडर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर-4 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैन कापी कर पी0डी0एफ0 फाइल बनायी जानी होगी।
- (6) ई-टेंडर डाक्यूमेन्ट्स की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पीडी0एफ0 फाइल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा “पे ऑफ लाइन” (Pay Off Line) विकल्प कर विलक करने पर एग्रीमेन्ट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर ई-निविदाकार द्वारा आई एग्री-सबमिट (I Agree Submit) पर विलक करना होगा।
- (7) तत्पश्चात ई-निविदाकार द्वारा अग्रिम धनराशि से सम्बन्धित कालम में बैंक ड्राफ्ट की धनराशि, बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियां भरने के बाद उसको सेव (Save) कर लिया जायेगा।
- (8) ई-निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर पर विलक करना होगा, जिससे कि अग्रिम धनराशि को टेंडर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।
- (9) यदि ई-निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गयी वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आइकन में विलक कर पुनः ई-निविदा पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुये रि-बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर विलक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। ई-निविदाकार द्वारा यह कार्य टेंडर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गयी ई-निविदा (Last Submit Bid) ही ई-टेंडर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गयी बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।
9. सा0 बालू भण्डारण में उपलब्ध सा0 बालू के प्रति धनमीटर के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च दर के सफल ई-निविदाकार का चयन उस सा0 बालू के भण्डार के नीलामी परिहार के लिये किया जायेगा। सफल ई-निविदाकार का चयन होने के उपरान्त टेंडर समिति की संस्तुति के आधार पर उसे आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किया जायेगा। उच्चतम ई-निविदा प्रस्तुत करने वाले ई-निविदाकार को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उन्हें वापस कर दिया जायेगा। उच्चतम ई-निविदाकार के मामले में उनके द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी की धनराशि को सम्बन्धित सा0 बालू भण्डार के लिये आगणित ई-निविदा की सर्वोच्च धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा।
10. आशय पत्र (Letter of Intent) प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर सफल निविदाकार को ई-निविदा की शेष सम्पूर्ण धनराशि जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में सफल निविदाकार द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये उस सा0 बालू भण्डार को नये सिरे से नीलामी परिहार पर स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी।
11. सफल निविदाकार द्वारा सर्वोच्च बोली की धनराशि का पांच प्रतिशत (5 प्रतिशत) की धनराशि परफार्मेन्स सिक्योरिटी (Performance Security) के रूप में किसी अनुसूचित बैंक से प्रत्यय पत्र (Letter of Credit from any Scheduled Bank) अनुपालन या प्रतिभूति बंध पत्र (Performance of Surety Bound) या एफ0डी0आर0 (FDR) जो जिलाधिकारी के पक्ष में बन्धक हो, आशय पत्र प्राप्त करने के तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
12. सफल निविदाकार द्वारा ई-निविदा की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त उन्हें सा0 बालू भण्डार से निर्धारित अवधि के अन्दर सा0 बालू को हटाने (विक्रय व परिवहन करने) हेतु स्वीकृति आदेश प्रदान किया जायेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर शेष बचे सा0 बालू पर राज्य सरकार का अधिकार हो जायेगा।
13. जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
14. सा0 बालू भण्डार अथवा ई-टेंडरिंग प्रक्रिया आदि से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी के लिये इच्छुक निविदाकार द्वारा किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे पूर्वान्ह से 05.00 बजे अपरान्ह के मध्य जिला खनन कार्यालय गोरखपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

15. मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
16. स्वीकृत सा० बालू भण्डार से सा० बालू का विक्रय व परिवहन जिला खान अधिकारी गोरखपुर द्वारा जारी प्रपत्र सी/ई-प्रपत्र सी के माध्यम से किया जायेगा।
17. भण्डारित खनिज को हटाये जाने हेतु निर्धारित समयावधि में कोई विस्तार अनुमत्य नहीं होगा।
18. सफल ई-निविदाकार द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी०सी०एस० एवं जी०एस०टी० आदि नियमानुसार देय होगा।
19. सफल ई-निविदाकार को सा० बालू परिवहन से पूर्व निकासी मार्ग पर सी०सी०टी०वी० कैमरा की व्यवस्था कर उसके अधीन भण्डारित सा० बालू का परिवहन किया जाना होगा एवं उसकी रिकार्डिंग पेन ड्राइव में सुरक्षित कर कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
20. जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा कोई अन्य नियम एवं शर्तें लगायी जाती हैं तो उसे इच्छुक निविदाकार एवं सफल निविदाकार को पालन करना होगा।


 (कृष्णा कर्णणेश)
 जिलाधिकारी
 गोरखपुर।

संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० शासल लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर।
4. प्रबन्धक निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि०, अशोक मार्ग हजरतगंज लखनऊ।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० गोरखपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर को व्यापाक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
7. उपजिलाधिकारी सदर, गोला, खजनी, बांसगांव, कैम्पियरगंज, चौरीचौरा, सहजनवां, जनपद गोरखपुर।
8. नाजिर, कलेक्ट्रेट-गोरखपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।


 जिलाधिकारी
 गोरखपुर।